फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मचीन्द (31687) जिला राजसमन्द

– प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. श्री नरेन्द्र कुमार मेहता पुत्र श्री डाल चन्द्र मेहता पता :– ग्राम गांवगुडा, ICICI बैंक के पास, तहसील खमनोर जिला राजसमंद (राज.) 313321
2. श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार मेहता पता :– ग्राम गांवगुडा, ICICI बैंक के पास, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) 3133211

– **अप्रार्थीगण / ऋणी / जमानतदार**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट — **पत्रावली संख्या 10 / 2024**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 02.05.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मचीन्द ने दिनांक 16.04.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी बैंक ने ऋणी श्री नरेन्द्र कुमार मेहता तथा श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार मेहता निवासी ग्राम गांवगुडा, ICICI बैंक के पास, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) 313321 को रूपये 10,00,000/– का ऋण स्वीकृत किया था। जिसे बढ़ाकर रूपये 10,50,000/– कर दिया एवं रूपये 10,00,000/– का ऋण स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण की सुविधा के एवज में उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :– चल सम्पत्ति :– Hypothecation of stock, जो निम्न पता ग्राम गांवगुडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) 313321, अचल सम्पत्ति :– आवासीय सम्पत्ति जो पट्टा नम्बर 8641, आराजी संख्या 5339, ग्राम गांवगुडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) में स्थित है जो श्री नरेन्द्र कुमार मेहता पुत्र श्री डाल चन्द्र मेहता के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 4312.9 वर्ग फिट है। जिसके पड़ौस निम्न हैं पूर्व में :– गेहरी लाल का प्लॉट, पश्चिम :– डालचन्द्र मेहता का खेत, उत्तर :– रोड, दक्षिण :– डालचन्द्र मेहता का खेत। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 26.12.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। उक्त ऋण बाबत् दिनांक 29.12.2023 को एक मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण

और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि रूपये 19,91,873/– रू. दिनांक 27.12.2023 तक एवं इसके पश्चात से ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिये बकाया निकलने से राशि की मांग की है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे में लेने का हकदार है। तथा संपत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नोटिस दिनांक 29.12.2023 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को उनके पते पर तामिल होने के बावजुद भी अप्रार्थीगण /ऋणी, द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मचीन्द द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बंधक चल एवं अचल सम्पति :– चल सम्पत्ति :– Hypothecation of stock, जो निम्न पता ग्राम गांवगुडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) 313321 अचल सम्पत्ति :– आवासीय सम्पत्ति जो पट्टा नम्बर 8641, आराजी संख्या 5339, ग्राम गांवगुडा, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद (राज.) में स्थित है जो श्री नरेन्द्र कुमार मेहता पुत्र श्री डाल चन्द्र मेहता के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 4312.9 वर्ग फिट है। जिसके पड़ौस निम्न हैं पूर्व में :– गेहरी लाल का प्लॉट, पश्चिम :– डालचन्द्र मेहता का खेत, उत्तर :– रोड, दक्षिण :– डालचन्द्र मेहता का खेत।

उपरोक्त चल एवं अचल सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मचीन्द के प्राधिकृत अधिकारी को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मचीन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)